

कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--- कार्यालय-आदेश---

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2017(NO F.15(1) FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017&09.12.2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी)स्वीकृत की जाती है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	वेतन बण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल नं.	स्वीकृत तिथि
1	हिम्मत सिंह चारण, परसाद (सराडा) उदयपुर	12-05-74	शा.शिक्षक	01.01.99	RVRES	20 वर्ष		L-14	01.01.2019
2	अजय पाल गहलौत, मोईनिया इस्लामिया, अजमेर	09.12.65	चित्रकला	15.02.97	RPSC	20 वर्ष	15,600-39,100	6000	15.02.2017

उक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

क्रम संख्या-02 पर अंकित कार्मिक नवीन वेतनमान 2017 में वेतन निर्धारित उपरान्त 20 एसीपी वर्षीय में PML-14 देय होगा।

(नथमल डिडेल)

आई0ए0एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

दिनांक -14/ 8 /2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित संस्था प्रचान राउमावि./राबाउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फंजिका

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
मेक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर